तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.1.23	पत्रावली पेश हुई- वकील वादी उपस्थित. वकील वादी ने अपनी बहस के दौरान बताया कि वह स्वर्गीय जमनालाल पिता गोविन्दराम ब्राह्मण का ही पुत्र होकर जाइन्दा वारिस है। इसलिए उसे स्वर्गीय जमनालाल पिता गोविन्दराम ब्राह्मण से सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेखो मे उनके अन्य वारिसान जो प्रतिवादीगण है उनके साथ सहकाश्तकार के रूप मे जोड़कर वादी को प्रतिवादीगण के साथ-साथ सहकाश्तकार होने की घोषणा की जावे। और स्वर्गीय जमनालाल पिता गोविन्दराम ब्राह्मण की मृत्यु के बाद राजस्व अभिलेखो मे वादी को उनके अन्य वारिसान के साथ साथ इसी मुताबिक अंकन कर विभाजन कर खाता अलग कायम किया जावे। वादी ने पुनः राजस्व अभिलेखो मे दर्ज शामलाती आराजियात मे वादी का हिस्सा इस प्रकार घोषित किया जावे।	

1- जमाबंदी राजस्व अभिलेख ग्राम बांकली पटवार हल्का चारखेड तहसील मांडल मे दर्ज आराजी नं. 1452/894 रकबा 0.02 बिस्वा (0.0253 हैक्टेयर) एवं आराजी नं. 906 रकबा 1.02 बिस्वा (0.2782 है0) व आराजी नं. 1020 रकबा 0.12 बिस्वा (0.1518 है0) मे वादी का 7/12 हिस्सा दर्ज किया जावे।

2- जमाबंदी राजस्व अभिलेख ग्राम बांकली पटवार हल्का चारखेड मे दर्ज संयुक्त खाते की आराजी नं. 922 रकबा 1.05 बीघा (0.3162 है0) एवं आराजी नं. 923 रकबा 1.04 बीघा क्षेत्रफल (0.3035 है0) मे वादी का 4/18 हिस्सा दर्ज किया जावे।

3. जमाबंदी राजस्व अभिलेख ग्राम बांकली पटवार हल्का चारखेड त0 मांडल मे दर्ज संयुक्त खाते की आराजी नं. 1453/922 रकबा 0.05 बिस्वा (0.0[illegible] है0) मे वादी का 1/24 हिस्सा दर्ज किया जावे।

4. जमाबंदी राजस्व अभिलेख ग्राम बांकली [illegible] हल्का चारखेड त0 मांडल मे दर्ज आराजी नं. [illegible] रकबा 0.04 बिस्वा (0.0506 है0) एवं आराजी नं. 586 रकबा 1.06 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

(0.3288 है०) मे वादी का 1/12 हिस्सा दर्ज किया जावे।

5. जमाबंदी राजस्व अभिलेख ग्राम बांकली पटवार हल्का [illegible] -पारोलेड मे दर्ज आराजी नं. 905 रकबा 0.04 बिस्वा (0.0506 है०) मे वादी का 1/18 हिस्सा एवं आराजी नं. 897 गै० मुम्किन रकबा 0.03 बिस्वा (0.0379 है०) मे वादी का 1/18 हिस्सा दर्ज किया जावे।

6. जमाबंदी राजस्व अभिलेख ग्राम बांकली पटवार हल्का-पारोलेड मे दर्ज आराजियात का विवरण निम्नानुसार है।

आराजी नं.	रकबा	हैक्टेयर
366	0.13	0.1644
367	1.04	0.3035
373	1.08	0.3541
374	0.13	0.1644
375	0.17	0.2150
379	1.11	0.3920
893	1.10	0.3794
910	0.14	0.1770
925	0.16	0.2023
कुल किता 09	रकबा 9.06 बीघा	2.3521 हैक्टेयर

उक्तानुसार वर्णित आराजियात मे प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 के साथ-साथ वादी का स्व० जमनालाल जी का पुत्र होने से सह काश्तकार के साथ जोडते हुए वादी का 1/6 हिस्सा घोषित कर इसी मुताबिक विभाजन करते हुए वादी के खाते अलग कायम करते हुए विभाजित हिस्से का कब्जा दिलाया जावे।

मैने वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली मे [illegible] दस्तावेजो पर मनन किया, अध्ययन [illegible] जाहिर आया कि मृतक जमना[illegible] ब्राह्मण का वादी पुत्र होकर [illegible] होना साफ एवं स्पष्टरूप से पाया जाना दृष्टिगोचर है। जो कि अखण्डनीय साक्ष्य होने से वादी कन्हैयालाल का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। अत एव,

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 16:08:02 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	:: आदेश :: अत: वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादी का प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 के विरुद्ध डिक्री किया जाकर ग्राम बांकली परवार हल्का चाँरखेड तहसील मांडल मे स्थित आराजी नं. 1452/894, आराजी नं. 906 व 1020 मे वादी का 7/12 हिस्सा होने, आराजी नं. 922, 923 मे वादी का 4/18 हिस्सा होने, आराजी नं. 1453/922 रकबा 0.05 बिस्वा (0.0632 है.) मे वादी का 1/24 हिस्सा होने व आराजी नं. 585 व 586 मे स्व. जमनालाल ब्राह्मण का 1/2 हिस्सा होने से वादी का 1/12 हिस्सा होने, आराजी नं. 915 मे वादी का 7/18 हिस्सा होने से एव आराजी नं. 896, 929, 930, 931, 932, 933 व 934 मे मृतक जमनालाल के वारिसान जो प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 है उनके साथ वादी का नाम सहकाश्तकार के रूप मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी तरह ग्राम बांकली परवार हल्का चाँरखेड तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 366, 367, 373, 374, 375, 379, 893, 910 एव 925 कुल किता 09 कुल रकबा 9 बीघा 06 बिस्वा (2.3521 हैक्टेयर) भूमि मे वादी का नाम प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 के साथ सहकाश्तकार के रूप मे जोड़कर वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज कर उक्त 1/6 हिस्से मुताबिक विभाजन कर अलग खाता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। एव विभाजित हिस्से का वादी को कब्जा दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के प्रदान की जाती है। तहसीलदार मांडल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:02 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर [illegible]
अहकाम [illegible]
हुकम [illegible]
में जा[illegible]

डिक्री

(आ0 20 नियम 6 / जा0दी0)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मांण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री नारायणलाल जीनगर (आर0ए0एस0)

अनवान प्रकरण

श्री कन्हैयालाल S/o श्री जमनालाल ब्राहाण निवासी- बांकली तहसील-मांडल

वादी

बनाम

1. श्री जगदीश S/o श्री जमनालाल ब्राहाण निवासी- बांकली तहसील-माण्डल
2. श्री दिनेश S/o श्री जमनालाल ब्राहाण ——— " ———
3. श्री शंकरलाल S/o श्री जमनालाल ब्राहाण ——— " ———
4. श्री रोशनलाल S/o श्री जमनालाल ब्राहाण ——— " ———
5. श्रीमती सोहनीदेवी W/o श्री स्व. जमनालाल ब्राहाण ——— " ———
6. रा० राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील-माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 99, 91 मुकदमा नं0 / वर्ष 141/19 निर्णय दिनांक 10.01.23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुददई व श्री श्यामलाल बैद्द Advo. मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अत: वकील वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादी का प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 के विरुद्ध डिक्री किया जाकर ग्राम बांकली परवार हल्का-चांरनेड तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 1452/894 आराजी नं. 906 व 1020 मे वादी का 7/12 हिस्सा होने, आराजी नं. 922, 923 मे वादी का 4/18 हिस्सा होने, आराजी नं. 1453/922 रकबा 0.05 बिस्वा (0.0632 हे.) मे वादी का 1/24 हिस्सा होने व आराजी नं. 585 व 586 मे स्व. जमनालाल ब्राहाण का 1/2 हिस्सा होने से वादी का 1/12 हिस्सा होने, आराजी नं. 905 मे वादी का 7/18 हिस्सा हो[illegible] [illegible], 896 929, 930, 931, 932, 933 व 934 मे [illegible] [illegible] के [illegible]रिसान जो प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 है उनके साथ वादी का नाम सह[illegible] [illegible] के रूप मे अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है [illegible] 366, 367, 373,

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:02 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 10.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

374, 375, 379, 893, 910 एंव 925 कुल किता 09 कुल रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा (2.3521 है०) भूमि मे वादी का नाम प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 के साथ सहकाश्तकार के रुप मे वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज किया जाकर उक्त 1/6 हिस्सा मुताबिक विभाजन कर अलग से खाता कायम किये जाने का आदेशित किया जाता है। एंव विभाजित हिस्से का वादी को कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:08:02 IST
Reason: SelfAttested